



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125077

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या. - 19268/2026

रामकिशोर

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

.....विपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: रवि शंकर त्रिपाठी

विपक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि शंकर त्रिपाठी और राज्य- प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री बी.पी. सिंह की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उसे पुलिस थाना उशैत, जिला बदायूं में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 47/2026 में धारा 85, 80(2) बीएनएस और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक मृतक का ससुर है और प्रथम इतिला रिपोर्ट 5 दिन की देरी से दर्ज की गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मृतक के दो भाई उदयवीर और रवि शव की मृत्यु समीक्षा के दौरान उपस्थित थे। यह भी बताया गया है कि आवेदक पर दहेज की मांग और यातना के संबंध में सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं और शव परीक्षण के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना पाया गया है और उसके चेहरे पर एक खरोंच पाई गई है। आवेदक 17.04.2026 से कारागार में बंद है और उसका आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण आज दायर किए गए अनुपूरक शपथपत्र में दिया गया है। आवेदक वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या में लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि अपराध की जी.डी. प्रविष्टि उसी दिनांक को दर्ज की गई थी। घटना घटी, हालांकि एफआईआर 5 दिन की देरी से दर्ज की गई, जिसके लिए प्रथम शिकायतकर्ता ने कहा है कि मृतक की मृत्यु के कारण वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था और आवेदक और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ दहेज की मांग और यातना के सामान्य आरोप लगाए गए हैं।

5. एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, मृतक की दहेज हत्या की गई थी। हालांकि, शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना बताया गया है और उसके चेहरे पर एक खरोंच पाई गई है। एफआईआर पांच दिन बाद दर्ज की गई और मृतक के भाई उदयवीर और रवि, मृतक के मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे।

6. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले की गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपर्युक्त मामले में आरोपी **रामकिशोर** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) (i) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित दिनांकों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनबंध दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित दिनांकों पर अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित दिनांक पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले की गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं लिया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

3 जून, 2026

(जितेंद्र कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।